न्यायालय अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

ओमवती बनाम कीरीसिंह

किस्म मुकदमा दावा नं. 35/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29/06/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर नं. 2 में पेश हुयी। कैम्प में पक्षकार उपस्थित आये। समझाईश एवं सुनवाई की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। एवं मजमेआम में पूछताछ की गयी। वादिया ने लोक अदालत में उपस्थित होकर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आ.ख.नं. $\frac{4642}{1-10}$, $\frac{4655}{2-07}$ है. ½ तथा ख.नं. $\frac{4639}{1-15}$ एवं $\frac{4641}{2-08}$ है. 1/6 स्थित ग्राम कुम्हेरपुरा की प्राथमिक खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आराजी वादिया के पिता दोरी की सह-खातेदारी की थी। दोरी की मृत्यु के बाद गलत प्रकार से एवं अवैध रूप से दोरी की विरासत में नामान्तरकरण सं. 126 ग्राम कुम्हेरपुरा खोलते समय वादिया के खास भाई विश्म्भर एवं कैलाशी के नाम इन्द्राजात कर दिये जबकि वादिया का नाम छोड़ दिया। अन्त में वादिया ने कहा कि उपरोक्तानुसार वादिया के हिस्से की राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात की आवश्यक दुरुस्ती की जावे। वादिया का खाता एवं लगान पृथक किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	जावे कि वादिया के कब्जेकाश्त में बच्चा पैदा नहीं थी। हमने प्रार्थिया की प्रार्थना पर गौर किया। पत्रावली में संलग्न रिकार्ड एवं पटवारी हल्का से ग्राम कुम्हरपुरा का नामा॰ सं. 126 का अवलोकन किया एवं मजमेआम में पूछताछ की। अतः न्यायालय दावा आंशिक रूप से डिग्री किया जाना उचित समझता है।
	अतः आदेश है कि दावा वादीया आंशिक रूप से इस प्रकार डिग्री किया जाता है कि नामान्तरकरण सं. 126 ग्राम कुम्हरपुरा निरस्त किया जाकर तहसीलदार राजाखेड़ा उक्त नामान्तरण सं. 126 में छोटी की वारिसों की पुनः जांच कर नामान्तरकरण खोला जावे। तहसीलदार राजाखेड़ा उक्तानुसार आदेश की पालना करें। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर आफिस दफ्तर हो।